न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :—श्री हरफूलसिह यादव,आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :—63/2024
जी.सी.एम.एस नंबर :— 2024/63

अपीलाण्ट :—	बनाम	रेस्पोडेन्ट :—
स्व. अना पुत्र खेती, के कायम मु. 1/1 कानाराम पुत्र अना 1/2 गोदाराम पुत्र अना 1/3 भुराराम पुत्र अना 1/4 श्रावताराम पुत्र अना 1/5 विरमाराम पुत्र अना जतिगण कलबी, निवासी देवदाका गोलिया तहसील बागोड़ा जिला जालोर।		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बागोड़ा जिला जालोर।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, बागोड़ा मुकदमा संख्या 165/2022 निर्णय दिनांक 5/5/2022 को पारित किया गया।

उपस्थिति :—
1. श्री घनश्याम सिंह, विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट।

:: निर्णय ::

दिनांकः— 26/12/2024

1. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बागोडा के मुकदमा संख्या 165/2022 निर्णय दिनांक 5.5.2022 से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये नोटिस से तलब किया गया।

3. बहस वकील अपीलाण्ट सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5. अपीलाण्टके अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि —

26.12.2024
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

मातहत अदालत का आदेश विधि विधान संचिका अभिलेख के तथ्यों के विरूद्ध न्याय के विपरीत कानूनन व इन्साफन गलत होने के कारण काबिल मन्सुख है।

उपखण्ड अधिकारी, बागोडा ने मुकदमा संख्या 165/2022 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 132 भू राजस्व अधिनियम 1956 बाबत वास्ते सम्बन्धी प्रकरण की सुनवाई करके उक्त प्रकरण में मातहत अदालत ने अन्तिम आदेश रास्ते के सम्बन्ध में पारित कर दिया परन्तु मातहत अदालत ने उक्त प्रकरण को दर्ज नही करके एग्रीवड पक्षकारो को यानि खातेदारो को पक्षकार नही बनाया, न ही प्रार्थी व अप्रार्थी के रूप में पक्षकार बनाया कानून का तय सुदा सिद्धान्त है कि अदालत हाजा द्वारा निर्णय सुनाने से पूर्व प्रकरण दर्ज कर प्रार्थी व अप्रार्थी को पक्षकार बनाकर उन्हें साक्ष्य सबूत व सुनवाई का पूर्ण मौका देकर कानूनन अन्तिम आदेश पारित करना चाहिए था परन्तु मातहत अदालत ने प्रार्थी व अप्रार्थी के के रूप में किसी को पक्षकार नही बनाया है। मातहत अदालत ने प्रकरण को दर्ज नही किया न ही संबंधित पक्षकारो को सनुवाई का मौका दिया। इस कारण उक्त कानूनी बिन्दु के आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य है।

मुकदमा संख्या 306/2022 में हल्का पटवारी ने दिनांक 25/3/2022 को मौका फर्द में खसरा नम्बर 820, 821, 826, 380, 379, 320, 324, 325, 328, 277, 248, 249, 250, 1558/244 में भौतिक रूप से रास्ता मौके पर चलना बताया और चार मीटर चौड़ा रास्ता सार्वजनिक रूप से उपयोग में आना बताया तथा प्रकरण संख्या 165/22 में उसी हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 15/4/2022 को बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश व अनुपालना में पटवारी द्वारा खसरा नम्बर 249 के खातेदार के साथ मिलीभगत कर मुझ प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 248 में रास्ता मौके पर चलना फर्द में बताया जबकि मुझ प्रार्थी के खातेदारी खेत में मौके पर पूर्व में व वर्तमान में कोई रास्ता नही चल रहा तथा मौके पर प्रार्थी की जीरे की फसल खड़ी है, मौका फर्द के नक्शे में हल्का पटवारी द्वारा खसरा नम्बर 1610/249 जो नक्शे में क्रोस xxxxxxxxxxx करके रास्ता हटाया जाना प्रस्तावित किया है तथा खसरा नम्बर 1609/248 में प्रस्तावित गैर मुमकिन रास्ता होना बताया जो कि बिना मौका देखे अपनी मनमर्जी से दुसरी मौका फर्द तैयार कर उक्त मौका फर्द व नक्शा ट्रेस पर गाँव के मौजीज व मुझ प्रार्थी के हस्ताक्षर नही है तथा मौके पर रास्ता नही है। पूर्व की मौका फर्द की पालना हो चुकी थी तथा हल्का पटवारी ने अपनी मनमर्जी से मौका फर्द निर्धारित करते हुए पूर्व में दर्शाए, पूर्व के नक्शे में तरमीम में परिवर्तन कर मुझ प्रार्थी की खातेदारी भूमि में रास्ता नया दर्शाया गया जबकि मौके पर आज दिन तक मुझ प्रार्थी की खातेदारी भूमि से रास्ता नही चल रहा है तथा पटवारी को पूर्व में बनायी गई मौका फर्द को परिवर्तन करने का अधिकार नही था क्योकि पटवारी के पास उक्त मौका फर्द के सम्बन्ध में किसी सक्षम अधिकारी का आदेश नहीं था तथा

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

पटवारी ने मौका फर्द में किसी भी सक्षम अधिकारी के आदेश का उल्लेख नहीं किया। इस कारण भी अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य है।

हल्का पटवारी ने दोनो मौका फर्द पर ग्राम प्रतिनिधि के रूप में गोरखा राम के हस्ताक्षर करवाए उक्त मौका फर्द पर गाँव के किसी मौजीज व्यक्तियों के हस्ताक्षर नही है तथा विवादित भूमि के खातेदारो के भी हस्ताक्षर नहीं है, उक्त मौका फर्द बनाने से पूर्व या अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मुझ प्रार्थी को नोटिस नही दिया, न ही सुनवाई का अवसर दिया, न ही साक्ष्य शपथ पत्र पेश करने का मौका दिया कानून का तय सुदा सिद्धान्त है कि एग्रीवड पक्षकार के विरूद्ध आदेश पारित करने से पूर्व उसे पूर्ण सुनवाई का मौका देना चाहिए अगर पीठ के पीछे आदेश पारित किया गया है तो ऐसा आदेश पूर्णतया प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत माना जाएगा जबकि उक्त सिद्धान्त भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार स्पष्ट उल्लेखित किया है कि किसी व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित करने से पूर्व नोटिस व सुनवाई का मौका दिया जाएगा उसकी पीठ के पीछे एक तरफा आदेश पारित नही किया जा सकता।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

धारा 131 व 132 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत गैर मुमकिन रास्ता देने का प्रावधान नही है क्योकि धारा 131 भू राजस्व अधिनियम 1956 में स्पष्ट प्रावधान दिया गया है कि अगर कोई नक्शे में त्रुटि रह गयी है तो नक्शे में सुधारा जा सकता है। इस कारण अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य है।

राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1956 की धारा 251–ए के तहत रास्ता प्राप्त करने के लिए प्रावधान दिया है अगर किसी खातेदार को रास्ते की जरूरत है तो उक्त प्रावधान के अनुसार उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर अपनी खातेदारी भूमि में आने–जाने हेतु रास्ते के संबंध में कानूनन आदेश पारित करवा सकता है। उक्त प्रावधानो के बाद धारा 131 व 132 भू राजस्व अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी को विवादित भूमि के सम्बन्ध में रास्ते की भूमि के संबंध कानून आदेश पारित नही करना चाहिए था। इस कारण अपीलाधीन आदेश बिना क्षेत्राधिकार का आदेश है क्योकि दिनांक 10/8/2016 के परिपत्र के बाद राज्य सरकार स्वयं ने पीड़ित पक्षकार को रास्ता प्राप्त करने के लिए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 251–ए के तहत प्रावधान कर दिया था। इस कारण भी अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य है।

अगर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है तो नये सिरे से रास्ता नही दिया जा सकता जबकि उसी हल्का पटवारी ने पूर्व में मौका फर्द में रास्ता मौके पर चलना बताया परन्तु दुसरी मौका फर्द बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से पूर्व ही मौका फर्द निरस्त करते हुए नई मौका फर्द बना दी तथा रास्ता प्राप्त करने के लिए राजस्व अभियान में किसी भी पक्षकार को सुने बिना आदेश दिया जो एग्रीवड खातेदारो को सुनवाई का अवसर दिए बिना व ग्राम के मौजीज व्यक्तियों को सुने बिना व सूचना दिए बिना एक

20.12.2024

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

तरफा आदेश पारित किया है। इस कारण भी अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी, बागोडा मातहत अदालत के समक्ष उक्त विवादित भूमि के समक्ष अलग अलग मौका फर्द प्राप्त हुई। इस कारण मौके की दो अलग–अलग मौका फर्द आने पर उपखण्ड अधिकारी स्वयं को मौके पर जाकर मौके की स्थिति की जाँच करनी चाहिए थी तथा स्वयं को मौके पर जाकर मौका रिपोर्ट तैयार कर मौके की स्थिति के अनुसार आदेश पारित करना चाहिए था। उपखण्ड अधिकारी ने हल्का पटवारी के द्वारा मौके की अलग अलग रास्ते संबंध रिपोर्ट प्राप्त होने पर ऐसी मौका फर्द पर रास्तें संबंधी एग्रीवड पक्षकारो को नोटिस व सुनवाई का दिए बिना एक तरफा आदेश पारित नही करना चाहिए था। इस कारण अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी के समक्ष दिनांक 5/5/2022 को तहसीलदार, बागोडा ने चालू स्थाई रास्ते के संबंध में राजस्व अभिलेख में अंकन करने की कार्यवाही उक्त परिपत्र दिनांक 10/8/2016 के अनुसार व अन्तर्गत धारा 131 व 132 राज० भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत मौके पर रास्ता दर्शाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। उप खण्ड अधिकारी ने प्रशासन गाँवो के संग अभियान की सील लगाकर आदेश पारित किया है परन्तु उप खण्ड अधिकारी ने किस तारीख का आदेश पारित किया है उस तारीख का उल्लेख नही किया है तथा प्रशासन गाँव के संग उक्त तारीख को राजस्व अभियान था या नही उसका कोई उल्लेख नही किया है तथा दिनांक 5/5/2022 का उल्लेख करते हुए उसी दिन आदेश पारित कर दिया तथा तहसीलदार के प्रार्थना पत्र में उसी गाँव में राजस्व केम्प होने का उल्लेख नही किया प्रशासन गाँवों के संग का उल्लेख नही इससे स्पष्ट ताईद होता है कि प्रशासन गाँवों के संग अभियान में कोई प्रार्थना पत्र पेश नही किया। तथा दिनांक 5/5/2022 को ही आदेश पारित कर दिया गया जबकि मौका फर्द पटवारी द्वारा दिनांक 15/4/2022 को पेश की गई जो उक्त प्रकरण दर्ज होने से पहले पेश की गई इससे स्पष्ट ताईद होता है कि पटवारी ने खातेदारों से मिलीभगत कर पूर्व के नक्शे में रास्ते को निरस्त कर नए सिरे से नक्शे में नया रास्ता दर्ज कर दिया जो कि मुझ प्रार्थी के खातेदारी भूमि में कोई रास्ता मौजूद नही है।

मातहत अदालत ने भू अभिलेख अधिनियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानो के अनुसार आदेश पारित नही किया है। उक्त प्रावधानो में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि मौके के सम्बन्ध में कोई भी मौका फर्द बनाई जाएगी उसकी एक प्रति एग्रीवड पक्षकार को दी जाएगी। इस कारण भी अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जावे मातहत अदालत का आदेश दिनांक 5/5/2022 को निरस्त किया जावे तथा उक्त प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय ने दर्ज नही किया

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

है तथा न ही एग्रीवड व्यक्तियों को पक्षकार बनाया है और न ही उनको सुनवाई का मौका दिया है। इस कारण उक्त प्रकरण प्रारम्भिक स्तर पर ही खारिज किए जाने योग्य है।

6. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। एवं पत्रावली का बगोर अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया कि प्रा.पत्र पर उक्त खसरान में दस्तावेज का अवलोकन किये बिना एवं मौके की स्थिति देखे बिना आदेश पारित कर दिया। न ही एग्रीवड व्यक्तियों को पक्षकार बनाया है और न ही उनको सुनवाई का मौका दिया है। समस्त खातेदारान को नोटिस दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अपीलाण्ट को ध्यान पूर्वक नही सुना गया है।अपीलाण्ट को इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के प्रावधानो के अनुसार सुना जाना आवश्यक था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यथावत रखना न्यायोचित प्रतीत नही होता हैं।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बागोडा के मुकदमा संख्या 165 निर्णय दिनांक 5.5.2022 को अपास्त किया जाता है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बागोडा को प्रकरण इन दिशा निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि खसरा नम्बर 248 या अन्य खसरा के मध्य स्थित सीमा पर मौके पर जिस जगह रास्ता चालू है। मौके पर तहसीलदार के निर्देशन में मोके पर चालु रास्ते की पुनः नाप चौक करवाकर रिपोर्ट प्राप्त कर राजस्व नक्शे में अंकित किये जाने हेतु विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

26.12.2024
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 26.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

26.12.2024
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

Scanned with OKEN Scanner